बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

आदेश 35

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आदेश से निदेशालय नियोजन के पत्रांक 884 दिनांक 14.08.2013 द्वारा पुस्तकाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु की गई अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–बि0क0च0आ0–प्र0–6/परीक्षा–03 (खण्ड) 425/आ. दिनांक 05.02.2014, पत्रांक–बि0क0च0आ00–प्र0–6/परीक्षा–03/2010 (खण्ड) 2922/आ. दिनांक 01.09.2014 एवं पत्रांक–बि0क0च0आ00–प्र0–6/परीक्षा–03 (खण्ड)/2010 अंश दिनांक 18.11.2014 द्वारा पुस्तकाध्यक्ष के पद पर वेतनमान रू0 9300–34800/– ग्रेड पे0–4200/– पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को निदेशालय पत्रांक 108 दिनांक 23.01.2015 के आलोक में दिनांक 30.01.2015 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउन्सिलिंग (Counselling) में उपस्थित निम्न अभ्यर्थी को पुस्तकाध्यक्ष (अराजपत्रित) के स्थायी पद के विरूद्ध कॉलम–07 में अंकित कार्यालय में योगदान हेतु नियुक्त किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जिला	बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अनुक्रमांक	आरक्षण कोटि	पदस्थापन कार्यालय जहाँ योगदान देना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 वशी खान पिता–मो0 जाहिद खान ग्राम–महुआतल पो0+थाना–बरबीघा जिला–शेखपुरा, बिहार, पिन नं0–811101	20.12.1982	शेखपुरा	11530481	सामान्य	निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना।

2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं दहेज नहीं लेने देने संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पदस्थापित स्थान पर आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान करना होगा तथा योगदान देने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. यह नियुक्ति आपके द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्रों को सही मानकर औपबंधिक रूप से की जा रही है। भविष्य में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर आपकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी और वेतनादि के मद में भुगतान की गई राशि की वसूली के साथ–साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जाएगा।

(कृ0 पृ0 उ0)

R.sir102

5. सभी संबंधितों को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल–अचल सम्पति का विवरण प्रथम योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. नवनियुक्त कर्मचारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या–2469 दिनांक 17.11.2006) प्रभावी/लागू होगा।
7. इनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के मेधा क्रम के आधार पर निर्धारित होगी।
8. पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित आदेश श्रम संसाधन विभाग बेबसाईट www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
9. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण का आदेश प्राप्त है।

ह0/–
(अरूणा सिन्हा)
उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1/स्थाप –4024/2008– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1/स्थाप –4024/2008– पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक– बि0क0च0आ0–प्र0–6/परीक्षा–03 (खण्ड) 425/आ. दिनांक 05.02.2014, पत्रांक– बि0क0च0आ00–प्र0–6/परीक्षा–03/2010 (खण्ड) 2922/आ. दिनांक 01.09.2014 एवं पत्रांक– बि0क0च0आ0–प्र0–6/परीक्षा–03 (खण्ड)/2010 अंश दिनांक 18.11.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1/स्थाप –4024/2008– 752 पटना–15, दिनांक– 27/7/15

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण,/अपर निदेशक (नियोजन)/ श्रम संसाधन विभाग के सचिव के आप्त सचिव/ सभी उप निदेशक (मुख्यालय सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय स्थापना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

R.sir103